

राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन : 2220672 फैक्स नं. 2224754 E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in)

जैव डीजल (बी-100) के पंजीकृत चल विक्रेताओं (MRO) के अतिरिक्त भण्डारण की अनुमति हेतु आवेदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण
पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार, तृतीय तल, योजना भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

महोदय,

मैं/हम(फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम) राज्य सरकार के राजस्थान जैव ईंधन नियम-2019 के नियमानुसार जैव डीजल (बी-100) के चल विक्रेता (Mobile Retail Outlet) के रूप में आपके विभाग में पंजीकृत है। मैं/हम उक्त चल विक्रेता (Mobile Retail Outlet) को बायोडीजल के पुर्नभरण हेतु अतिरिक्त भण्डारण की अनुमति के लिये बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आवेदन के साथ चाही गयी समस्त सूचनाएँ एवं दस्तावेजों को निम्नानुसार संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.स.	बिन्दु	विवरण
1	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का नाम	
2	मोबाईल रिटेल आउटलेट का बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन नम्बर	
3	वाहन (मोबाईल रिटेल आउटलेट) का परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर	
4	अतिरिक्त भण्डारण का पूरा पता	
5	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
6	फोन/मोबाईल नम्बर /ई मेल का पता	
7	विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता का बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन नम्बर	
8	अतिरिक्त भण्डारण की क्षमता किलो लीटर में	
9	अधिसंरचनाओं का विवरण (भण्डारण का प्रकार एवं विवरण, ए.टी.जी. इत्यादि)	
10	अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ (ऐच्छिक)	
11	साईट की फोटो	
12	साईट के जी.पी.एस. कार्डिनेट (Latitude & Longitude)	

उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाएँ एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सही एवं प्रमाणिक है। हमारी कम्पनी/फर्म/सोसायटी द्वारा उक्त अतिरिक्त भण्डारण से सीधे रिटेल बिक्री नहीं की जायेगी एवं इस अतिरिक्त भण्डारण का उपयोग केवल अपने उक्त पंजीकृत जैव डीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट के पुनर्भरण हेतु किया जायेगा। उक्त अतिरिक्त भण्डारण का उपयोग हमारे अधिकृत विनिर्माता द्वारा उत्पादित एवं हमारी कम्पनी/फर्म/सोसायटी को विक्रय किये गए जैव डीजल (बी-100) के भण्डारण हेतु ही किया जायेगा।

दिनांक :
स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मय नाम पद एवं मोहर

राजस्थान सरकार
बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन : 2220672 फ़ैक्स नं. 2224754 E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in)

जैव डीजल (बी-100) के पंजीकृत विनिर्माता के अतिरिक्त भण्डारण की अनुमति हेतु आवेदन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना निदेशक बायोफ्यूल प्राधिकरण
पदेन संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
राजस्थान सरकार, तृतीय तल, योजना भवन,
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

महोदय,

मैं/हम(फर्म/कम्पनी/सोसायटी का नाम) राज्य सरकार के राजस्थान जैव ईंधन नियम-2019 के नियमानुसार जैव डीजल (बी-100) के विनिर्माता के रूप में आपके विभाग में पंजीकृत है। मैं/हम बायोडीजल के राज्य में अतिरिक्त भण्डारण की अनुमति के लिये बायोफ्यूल प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस आवेदन के साथ चाही गयी समस्त सूचनाएँ एवं दस्तावेजों को निम्नानुसार संलग्न कर रहा हूँ।

क्र.स.	बिन्दु	विवरण
1	कम्पनी/फर्म/सोसायटी का नाम	
2	विनिर्माता का बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीयन नम्बर	
3	अतिरिक्त भण्डारण का पूरा पता	
4	अधिकृत व्यक्ति का नाम	
5	फोन/मोबाईल नम्बर /ई मेल का पता	
6	अतिरिक्त भण्डारण की क्षमता किलो लीटर में	
7	अधिसंरचनाओं का विवरण (भण्डारण का प्रकार एवं विवरण इत्यादि)	
8	अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ (ऐच्छिक)	
9	साईट की फोटो	
10	साईट के जी.पी.एस. कार्डिनेट (Latitude & Longitude)	

उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाएँ एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सही एवं प्रमाणिक है। उक्त अतिरिक्त भण्डारण स्थल आबादी क्षेत्र में स्थित नहीं है। हमारी कम्पनी/फर्म/सोसायटी द्वारा उक्त अतिरिक्त भण्डारण से सीधे रिटेल बिक्री नहीं की जायेगी। उक्त अतिरिक्त भण्डारण का उपयोग हमारे द्वारा उत्पादित जैव डीजल (बी-100) के भण्डारण हेतु ही किया जायेगा।

दिनांक :
स्थान :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मय नाम पद एवं मोहर